न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 81/17 **सन् 2017**

आरसीएमएस संख्या 2017/00208

बउनवानीः—चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रपाल सिंह जाति राजपूत निवासी गैस प्लान्ट के सामने रणथभौर रोड़ तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 255/2017 निर्णय दिनांक 16.3.2017 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 22.5.2019**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 255/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.32017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2073 में वाके ग्राम आलनपुर की बारीन 2 भूमि आराजी ख0न0 421 रकबा 0.01 है0 पर 14X15 फीट पर दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, किन्तु अपीलान्ट उपस्थित नही होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी हेतु जारी नोटिस की प्रोपर तामील नही करवाने के कारण अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही हो सका तथा साक्ष्य/सबूल प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहा है। जबकि ख0न0 421 रकबा 0.01 है0 पर अपीलान्ट का काफी समय से कब्जा होने के कारण ग्राम पंचायत खटुपुरा द्वारा दिनांक 22.11.1995 को नियमानुसार 36X50 फीट कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट अर्थात 20 वर्गगज का पटटा अपीलान्ट के पिता के नाम से जारी किया गया हैं। उक्त भूखण्ड मुख्य सड़क स0मा0 पर गैस प्लान्ट के सामने स्थित है। जिसमे से 17X33 फीट में पुख्ता निर्माण करवाकर रहवाश के उपयोग में प्रार्थी के पिता के समय से चला आ रहा है। यह कथन भी किया उक्त भूखण्ड प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में चला आ रहा है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.4.2017 को तहसील का कर्मचारी सम्मन लेकर गावं जाने पर घरवालो के बताये जाने पर प्राप्त हुयी एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0

एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट की के भाई की पत्नि से करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। जहॉ तक विवादित भूखण्ड का पटटा होने का प्रश्न है तो पटटे मे ख0न0 अंकित नही है तथा पटटे की मूल प्रति भी नही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया हो नोटिस की तामील प्रति से प्रतीत नही होता है क्योकि अपीलान्ट के नोटिस की तामील उसके भाई की पत्नि से करवाया जाना पाया गया है जो प्रोपर तामील की श्रेणी मे नही आती है। अपीलान्ट की प्रोपर तामील नही होने के कारण अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है। वकील अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि से संबंधित पटटा विलेख दिनांक 22.11.1995 की प्रति पेश की गयी है। अतः पटटा विलेख एवं उसमे वर्णित भूमि तथा विवादित भूमि की मौके की जॉच करवाया जाना एवं अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पटटे में अंकित भूमि एवं आदेश जैर अपील मे वर्णित ख0न0 की भूमि का मौका निरीक्षण करके तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पटटा दिनांक 22.11.1995 से संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जॉच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.5..2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 15:23:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: